

उत्तराखण्ड शासन

भाषा अनुभाग

संख्या:- १४७/xxxix/13-20(सा0)/2009

देहरादून: दिनांक- ११ मई, 2013

अधिसूचना

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 345 एवं 351 तथा आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के विकास एवं संवर्द्धन हेतु उत्तराखण्ड भाषा संस्थान नियमावली, 2009 में संशोधन करने की दृष्टि से सहर्ष निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान (संशोधन) नियमावली, 2013

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड भाषा संस्थान(संशोधन) नियमावली, 2013 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- नियम 5 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड भाषा संस्थान नियमावली, 2009 के नियम 5 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा: अर्थात्:-

स्तम्भ-1

वर्तमान नियम

5. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

- (1) उत्तराखण्ड प्रदेश के मुख्यमंत्री/भाषा मंत्री संस्थान के पदेन अध्यक्ष होंगे।
(2) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिये की जायेगी किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

स्तम्भ-2

एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम

5. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

- (1) राज्य के मुख्यमंत्री संस्थान के पदेन अध्यक्ष होंगे।
(2) भाषा विभाग में मंत्री का प्रभार, यदि मुख्यमंत्री के ही नियन्त्रणाधीन हो, तो उपाध्यक्ष, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा, किन्तु यह नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है तथा मुख्यमंत्री से इतर भाषा विभाग के मंत्री होने की दशा में भाषा विभाग के मंत्री पदेन उपाध्यक्ष होंगे।

नियमावली के संगत अन्य प्राविधान भी उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

आज्ञा से

(डी०एस० गर्ब्याल)
सचिव

संख्या: १८७(१)/xxxix/13-20(सा०)/2009, तददिनांक:

प्रतिलिपि निदेशक, फोटोलिथो प्रेस, रूडकी (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त अधिसूचना गजट में प्रकाशित कर मुद्रित अधिसूचना की 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(डी०एस० गर्ब्याल)
सचिव

संख्या: १८७(२)/xxxix/13-20(सा०)/2009, तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 2- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
- 3- निजी सचिव, मा० भाषा मंत्री जी।
- 4- निजी सचिव, मा० अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
- 5- सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 6- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- महालेखाकार, ऑडिट, वैभव पैलेस सी-1/105 इन्दिरा नगर, देहरादून।
- 9- निदेशक कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 10- निबन्धक, फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तराखण्ड, बंगाली मोहल्ला, देहरादून।
- ✓ 11- सचिव, डॉ० पीताम्बर दत्त बडथवाल हिन्दी अकादमी, उत्तराखण्ड।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डी०एस० गर्ब्याल)
सचिव

~

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "The Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. १४७ / xxxix / 13-20(सा०) / 2009, Dated: ११ May, 2013 for general information.

Government of Uttarakhand
Department of Language
No-१४७ / xxxix / 13-20(सा०) / 2009
Deharadun; Dated- ११ May, 2013

NOTIFICATION

For the development and promotion of languages mentioned in Article 345, 351 and 8th Schedule of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Bhasha Sansthan Rules, 2009

The Uttarakhand Bhasha Sansthan (Amendment) Rules, 2013

Short title and Commencement

1. (1) These Rule may be called The Uttarakhand Bhasha Sansthan (Amendment) Rules, 2013
- (2) It shall come into force at once.

Amendment of rule 5

2. In the Uttarakhand Bhasha Sansthan Rules, 2009 for the existing rule in rule 5 set out in Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be substituted; namely:-

Column-1 (Existing rule)	Column-2 (rule as here by substituted)
<p>5. Chairman and Vice-Chairman-</p> <p>(1) The Chief Minister / Minister of Language will be the Ex-officio Chairman of the Sansthan.</p> <p>(2) In the absence of chairman, Vice-Chairman will be appointed by the State Government for a certain period but the provisio is that his appointment may be cancelled without giving any prior notice.</p>	<p>5. Chairman and Vice-Chairman-</p> <p>(1) The Chief Minister will be the Ex-officio Chairman of the Sansthan.</p> <p>(2) In case the Chief Minister is in-charge of the Ministry of Language Department, Vice-Chairman will be nominated by the State Government; and his appointment may be cancelled by State Government at any time without giving any prior notice and in case the Chief Minister is not the Minister in-</p>



charge of Language Department, the
Minister In-charge of Department of
Language will be the Ex-Officio Vice-
Chairman.

**Above amendment shall apply on other relavent provisions of rules to that
extent.**

By Order,
(D.S. Garbyal)
Secretary

संख्या: १४७-(1)/xxxix/13-20(सा0)/2009, तददिनांक:

प्रतिलिपि निदेशक, फोटोलिथो प्रेस, रूडकी (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त अधिसूचना गजट में प्रकाशित कर मुद्रित अधिसूचना की 100 प्रतियां शासन को पलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(डी०एस० गर्ब्याल)
सचिव

संख्या: १४७-(2)/xxxix/13-20(सा0)/2009, तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 2- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
- 3- निजी सचिव, मा० भाषा मंत्री जी।
- 4- निजी सचिव, मा० अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
- 5- सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 6- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड,, देहरादून।
- 7- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- महालेखाकार, ऑडिट, वैभव पैलेस सी-1/105 इन्दिरा नगर, देहरादून।
- 9- निदेशक कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 10- निबन्धक, फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तराखण्ड, बंगाली मोहल्ला, देहरादून।
- ✓ 11- सचिव, डॉ० पीताम्बर दत्त बडथवाल हिन्दी अकादमी, उत्तराखण्ड।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(डी०एस० गर्ब्याल)
सचिव
✓